BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Vol. XXXXVI | 29th April, 2015 | No. 8

बिहार के हर जिले में खुलेगा उद्यमिता विकास केन्द्र : श्री राजीव प्रताप रूडी

माननीय केन्द्रीय कौशल विकास उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने चैम्बर द्वारा स्थापित निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र का किया उद्घाटन

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा चैम्बर प्रांगण में स्थापित नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन केन्द्रीय कौशल विकास उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजीव प्रताप रूडी ने दिनांक 14 अप्रील 2015 को किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ०पी० साह ने की।

अपने स्वागत संबोधन मे चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि मैं माननीय मंत्री जी का अनुगृहित हूँ कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज जो कि राज्य के उद्योग एवं व्यवसाय की शीर्ष संस्था है और जिसने अपने 89वें गौरवशाली वर्ष में प्रवेश किया है, में पधार कर चैम्बर द्वारा जनहित में चलाए जा रहे महिलाओं के लिए नि:शुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन करने की अपनी कृपापूर्ण स्वीकृति दी ।

माननीय मंत्री जी, हम सभी देशवासी माननीय प्रधानमंत्री जी के हार्दिक आभारी हैं जो देश के युवाओं के कौशल विकास के लिए काफी चिन्तित हैं । उनकी चिन्ता इसी बात से पूर्ण रूपेण प्रदर्शित होती है कि उन्होंने कौशल विकास के मिशन को पूरा करने के लिए अलग से एक मंत्रालय का गठन किया है जिसकी जिम्मेवारी उन्होंने आप जैसे सुयोग्य व्यक्ति को सौंपी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी कुशलता एवं अनुभव से देश के युवाओं के कौशल विकास के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कराने में अवश्य सफल होंगे । इसी कड़ी में चैम्बर ने एक छोटा प्रयास किया है कि अपने सीमित संसाधनों में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ा जाए और उसकी परिणति यह कार्यक्रम है ।

माननीय मंत्री जी, मुझे यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज न केवल राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों के हितों के लिए तत्पर रहता है बल्कि अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में भी बढ-चढ़ कर हिस्सा लेता रहा है । इसी कड़ी में चैम्बर ने 10 फरवरी 2014 से राज्य की महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की शुरूआत की है।

चैम्बर ने पिछले एक साल में करीब 650 महिलाओं को 12 तरह की सिलाई का प्रशिक्षण विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की देखरेख मे दिया है जिसमें जांघिया, विभिन्न प्रकार का पेटीकोट, सिम्पल फ्रॉक, बेबी फ्रॉक, तकिया कवर, बेबी पैंट, नाईटी, पैजामा, ब्लाउज, सलवार-समीज के साथ-साथ क्वील्ट बैग बनाना तथा मेंहदी कला का प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

महोदय, चैम्बर द्वारा कौशल विकास के अन्तर्गत सिलाई का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिये जाने के कारण इधर कुछ माह से आर्थिक रूप से कमजोर काफी महिलाएं सम्पर्क कर रही थी, जो कम्प्यूटर प्रशिक्षण लेने की इच्छुक थी उसी को ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को चैम्बर ने कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया, इसके लिए आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया और आज हमें काफी प्रसन्नता हो रही है कि

कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन करते माननीय केन्द्रीय कौशल विकास, उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी। उनकी बाँयी ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह तथा दाँयीं ओर श्रीमती सुषमा साहू एवं अन्य

इसका उद्घाटन आपके कर-कमलों से हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे महानुभावों का समय-समय पर आशीर्वाद मिलता रहा तो चैम्बर अपने उद्देश्यों में अवश्य ही सफल होगा।

अपने उद्बोधन में माननीय मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि केन्द्र सरकार का पूरा जोर कौशल विकास पर है। इसके लिए बिहार के सभी जिलों में कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना होगी। पहले यह केन्द्र मॉडल के रूप में काम करेगा। पहला सेंटर जून तक खुलेगा। 33 सेक्टर को अलग-अलग ट्रेड पर प्रशिक्षित किया जायेगा। इसके लिए 30-50 कमरों का भवन चाहिए। केन्द्र सरकार स्वयं इसके लिए खर्च वहन करेगी। उन्होंने कहा आज कल केवल डिग्री लेने पर जोर है। कौशल विकास के बिना रोजगार मिलना मुश्किल है। आज इंजीनियर से लेकर बिजनेस ग्रेजुएट तक बेरोजगार हैं। भारत सरकार शीघ्र ही सरकारी नौकरी पाने के लिए स्किल सर्टिफिकेट को अन्य डिग्रियों की तरह ही जरूरी करने वाली है। सरकार आने वाले वर्षो में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को लागू करके स्किल

प्रशिक्षित महिला को चैम्बर का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र एवं सिलाई के उपकरण वाला किट प्रदान करते माननीय कौशल कौशल विकास, उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी। उनकी दाँयी ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह। बाँयीं ओर क्रमशः कौशल विकास उप-समिति के चेयरमैन श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी एवं महामंत्री श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल।

क्वालिफिकेशन को अन्य जरूरी डिग्रियों की तरह ही आवश्यक कर देगी। भारत सरकार 2016 के बाद सरकारी और पब्लिक सेक्टर युनिट्स में नौकरी देने के क्राइटेरिया में बदलाव कर सकती है। माननीय मंत्री ने कहा कि भारत में सिर्फ 02% ही स्किल्ड वर्क फोर्स है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत् अगले दो साल में भारत सरकार 5 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देगी। देश में 25 स्थानों पर 2500 इस्टीच्यूट की मदद से 2020 तक 50 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है। श्री रूडी ने कहा कि यह मानक तय किया गया है कि ट्रेनिंग लेने के बाद लोगों को एक सम्माननीय राशि भी दी जायेगी। हालांकि इसके लिए उन्हें एक मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना होगा।

उन्होंने कहा कि देश में 65 वर्षों के दौरान शिक्षा पर काफी बातें हुई। बड़ी राशि खर्च हुई, लेकिन प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत अन्य देशों की तुलना में पिछड़ गया। चीन में 46 प्रतिशत, अमेरिका में 55 प्रतिशत, जर्मनी में 74 प्रतिशत, कनाडा में 80 प्रतिशत, जापान में 82 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 96 प्रतिशत आबादी कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त है। परन्तु भारत में मात्र 2 प्रतिशत लोग ही प्रशिक्षित हैं। इसलिए भारत प्रशिक्षण के क्षेत्र में दुनिया के मानचित्र पर नही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर रायपुर दूसरा लॉस ऐंजलिस हो जाय तो किसी को आश्चर्य नही होना चाहिए। छत्तीसगढ़ कौशल प्रशिक्षण को जनता के मौलिक अधिकार में समाहित करने वाली पहली सरकार होगी।

माननीय केन्द्रीय मंत्री ने चैम्बर के प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा पूर्व में सिलाई-कटाई की प्रशिक्षित महिलाओं को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र एवं चैम्बर द्वारा उपलब्ध कराये गये सिलाई के उपयोग में आने वाले उपकरणों का किट वितरित किया।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री मधुकर नाथ बरेरिया, कोषाध्यक्ष डॉ रमेश गाँधी, महामंत्री श्री ओ०पी० टिबड़ेवाल, आधार महिला की डॉ० गीता जैन सहित चैम्बर के सदस्य एवं प्रेस बंधु काफी संख्या में उपस्थित थे।

इस अवसर पर माननीय मंत्री जी को चैम्बर अध्यक्ष ने शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया।

मंच संचालन चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन ने किया।

चैम्बर के पूर्व कोषाध्यक्ष एवं कौशल विकास उप-समिति के चेयरमैन ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव के साथ चैम्बर में बैठक

विभाग टैक्स वसूलें, न करें परेशान : श्री रवि मित्तल

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 20 अप्रील, 2015 को वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव श्री रवि मित्तल के साथ चैम्बर सदस्यों की बैठक हुई। चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ०पी० साह ने बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर वाणिज्य-कर के अपर आयुक्त श्री अरूण कुमार वर्मा भी उपस्थित थे।

अपने स्वागत संबोधन में चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि मैं श्री रवि मित्तल जी का चैम्बर प्रांगण में राज्य के समस्त व्यवसायियों की तरफ से करीब आठ साल बाद पुनः वाणिज्य-कर विभाग की बागडोर संभालने के लिए अभिनंदन करना चाहता हूँ और हमारा विश्वास है कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज और वाणिज्य-कर विभाग के बीच जो चोली दामन का संबंध है वह आपके नेतृत्व में और प्रगाढ़ होगा। हमे विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में वाणिज्य-कर विभाग पूर्व की भाँति व्यवसायियों को विश्वास में लेकर तथा अनर्गल तकनीकि परेशानियों से व्यवसायियों को मुक्त कर वाणिज्य-कर के संग्रह में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में नयी ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा। हमे यह भी विश्वास है कि बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (GST) आपके नेतृत्व में ही राज्य में लागू होगा जैसा की VAT भी आप ही के नेतृत्व में लागू हुआ था और VAT कानूनों को सरलीकृत करने में आपका बहुत बड़ा योगदान था।

जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि देश में GST अगले वित्तीय वर्ष से लागू होने जा रहा है लेकिन अभी तक सभी Stake Holders को GST की सम्पूर्ण जानकारी का अभाव है। अतः निवेदन है कि जिस तरह VAT लागू होने से पहले उसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया था और Stake Holders से व्यापक विचार-विमर्श किया गया था उसी तरह GST पर आप एक कार्यशाला बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में अवश्य करना चाहेंगे।

विवरणी, सुविधा इत्यादि कि अब on-line प्रक्रिया जारी है लेकिन इधर कुछ दिनों में इसमें संशोधन हुए हैं एवं हो रहे हैं, इसके लिए भी एक कार्यशाला चैम्बर में आयोजित कर व्यवसायियों को जानकारी देना अपेक्षित होगा।

महोदय, यह सर्वविदित है कि व्यवसायियों को विश्वास में लेकर ही कर की

सदस्यों को संबोधित करते वाणिज्य-कर आयुक्त सह-प्रधान सचिव श्री रवि मित्तल।
उनकी दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह, उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया।

सुगम उगाही और राज्य का आर्थिक विकास हो सकता है, न कि तकनीकी दाँव-पेचों में उलझाकर उनका भयादोहन करके।

इसी संदर्भ में भारत के माननीय वित्तमंत्री श्री अरूण जेटली जी ने वाशिंगटन में कहा है- **"कर दाताओं को भागीदार के तौर पर देखा जाएगा, संभावित बंधक या शिकार के तौर पर नही।"**

मैं आपका इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ठोस कदम उठाते हुए अग्रिम कर की उगाही पर रोक लगा दी थी। इस तरह की अग्रिम कर की उगाही सिर्फ एक आत्म संतुष्टि एवं छलावा है।

श्री डी०बी० गुप्ता, चेयरमैन, वैट उप-समिति ने विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया। जो इसी अंक में आगे उद्धृत की गयी है:-

बैठक में जो मामले सबसे अधिक आये उनमें विभाग के न्यायाधिकरण एवं सॉफ्टवेयर से संबंधित मामले अधिक रहे। सभी वैध कागजात होने के बावजूद वाणिज्य-कर विभाग के अधिकारियों द्वारा लोडेड ट्रक को ''अन्डर वेल्यूएशन'' के नाम पर रोकने, समान को ट्रक सहित जब्त करने एवं उनसे अवैध वसूली करने जैसे मुद्दे व्यवसायियों ने वाणिज्य-कर आयुक्त के समक्ष रखा।

इस अवसर पर पटना सिटी व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह, बिहार केमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स एसोसियेशन के श्री उत्पल सेन, श्री अनिल पचिसिया, श्री अमित मुखर्जी, श्री आलोक पोद्दार, श्री विपिन कुमार चाचान, श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला ने अपनी समस्याएं बताई और सुझाव भी दिये।

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव ने व्यवसायियों की समस्याओं को सुनने के बाद कहा कि राज्य का टैक्स जीडीपी अनुपात मात्र 6% है। व्यवसायियों से उन्होंने कम से कम 9-10% बढ़ाने की अपील की। श्री मित्तल ने कहा कि इस वर्ष कर संग्रह काफी निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि आपके पास टैक्स कवर करने का बहुत सा दायरा है । जो लोग सही व्यापार करते हैं, वे पूरा टैक्स देते हैं। जो लोग गलत व्यापार करते हैं वे पूरा टैक्स नही देते हैं। जिसका घाटा सही व्यापार करने वालों को होता है। श्री मित्तल ने कहा कि हमारा उद्देश्य टैक्स वसूलना है आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको और सहुलियत देना है। व्यापारी वाणिज्य-कर के ही अंग हैं जो कर संग्रह कर हमें देते हैं। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह व्यवसायियों के साथ एक कार्यशाला आयोजित कर सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। VAT प्रतिपूर्ति के लिए सारा दस्तावेज मैनें विभाग को भेज दिया है। जल्दी ही आपका सारा Claim Solve कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग एक और वेवसाइट विकसित कर रहा है। वह बन जाने से व्यवसायियों का सारा काम व्यवस्थित हो जायेगा। वाणिज्य-कर विभाग कानून के मुताबिक पेपर पर काम कर रहा है। जिन व्यवसायियों की स्क्रूटनी में त्रुटि पायी गयी है, उनके पास नोटिस भेजा जा रहा है। आपसे आग्रह है कि नोटिस का जबाब सही रूप में दें। उन्होंने कहा कि अक्टूबर -नवम्बर के बाद GST पर एक वर्कशॉप किया जाएगा।

श्री मित्तल ने कहा कि चैम्बर द्वारा समर्पित ज्ञापन पर वाणिज्य-कर विभाग कोशिश करेगा कि एक दो माह के भीतर जो परेशानियाँ हैं उन्हें सही कर लिया जायेगा और इसमें विभाग व्यवसायियों को हर संभव सहयोग करेगा।

इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय, उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं मधुकर नाथ बरेरिया, महामंत्री श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल सहित चैम्बर सदस्य एवं मीडिया बंधु काफी संख्या में उपस्थित थे। महामंत्री श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक सम्पन्न हुई ।

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव को समर्पित ज्ञापन
(दिनांक 20 अप्रील, 2015)

1. घोषणा प्रपत्र D-VIII के सम्बन्ध में

नये रूप में D-VIII प्रपत्र Biharcommercialtax के साइट पर आने के बाद व्यवसायियों को इसके संबंध में किसी प्रकार की कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है कि उसकी Validity क्या होगी। यदि व्यवसायी अपने गोदाम से माल ट्रान्सपोर्टर को भेजता है तो किस प्रकार से भेजना है इस संबंध में भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। अतः इस संबंध में विभाग की ओर से विस्तृत जानकारी व्यवसायियों को दी जानी चाहिए ।

घोषणा-प्रपत्र D-IX (CTD Bihar.Gov.In) के सम्बन्ध में :-

(i) क्रेता व्यवसायी का CST TIN Number- पूर्व से भरा होना चाहिए ।

(ii) विक्रेता व्यवसायी अगर निबंधित है तो Mobile Number एवं Email ID Optional होना चाहिए।

(iii) Likely Entry Check Post को भरने के बाद सुधार का Option होना चाहिए। पूर्व में अधिसूचना सं0 6888 दिनांक 30.10.2012 के द्वारा Check Post को बदलने की सुविधा थी।

(iv) बिल डिटेल भरने के लिए बार-बार कॉमोडिटी सर्च की जगह अभी वर्तमान (D-IX TCS) की तर्ज पर ही होना चाहिए ।

(v) अगर कोई व्यक्ति उद्गम स्थल से गंतव्य स्थल के बीच में माल की डिलीवरी करना चाहता है तो इसका प्रावधान होना चाहिए, जिसमे निम्न जानकारियाँ दी जा सकती हैं:-

तीसरी पार्टी का नाम - निबंधन संख्या - मूल्य (टैक्स से पहले)

इससे समय एवं तेल की बचत होगी। साथ ही जो व्यापारी फुल ट्रक माल माँगवाते हैं और उनका गोदाम शहर के अंदर है, जहाँ दिन में No Entry होती है वो भी इसमे सेल्फ का विकल्प डालकर बाईपास से छोटी गाड़ियों द्वारा अपने गोदाम तक ले जा सकते हैं।

(vi) अभी एक ही बीजक पर आने वाले कनसाइन्मेंट जो कि एक से अधिक

ट्रकों पर आ रहा है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जिसका समाधान कर उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

VAT प्रतिपूर्ति के संबंध में

(i) औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 एवं 2011 के अन्तर्गत उद्योग को वैट प्रतिपूर्ति वाणिज्य-कर विभाग द्वारा किया जाता है। इसकी निधि उद्योग विभाग से वाणिज्य-कर विभाग को प्राप्त होती है। इस वर्ष में उद्योगों को प्रतिपूर्ति हेतु यथेष्ट निधि ससमय उद्योग विभाग से प्राप्त करने का अनुरोध है जिससे उद्योगों को वैट प्रतिपूर्ति ससमय त्रैमासिक स्तर पर सुनिश्चित हो सके। हम इस ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे कि मार्च 2014 में जो निधि आया था वह पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं होने के कारण Balance राशि Lapse हो गया। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो Fund आए वह Lapse न हो।

(ii) उद्योगों को वैट प्रतिपूर्ति प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने हेतु वांछित Software विकसित कर इसे Online लागू करने की कार्रवाई की जाय ताकि पूरी प्रक्रिया शीघ्रता से सम्पन्न हो सके एवं पारदर्शी भी रहे।

(iii) हमारा आग्रह है कि VAT प्रतिपूर्त्ति (Reimbursement) के स्थान पर इसके सामंजन (Adjustment) की व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए क्योंकि VAT प्रतिपूर्ति में काफी समय लगता है। वर्तमान प्रक्रिया में व्यवसायियों को पहले VAT जमा करना पड़ता है उसके बाद जमा किए हुए VAT की प्रतिपूर्ति हेतु वाणिज्य-कर विभाग का चक्कर लगाना पड़ता है जिससे विभाग एवं व्यवसायियों का बहुत समय व्यर्थ जाता है।

(iv) अंचल कार्यालय में प्रतिपूर्ति के जो आवेदन आते हैं उनका निष्पादन क्रमानुसार नहीं होता है। अत: ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी आवेदन आते हैं उसकी रसीद दी जाए जिसमें नम्बर एवं तिथि अंकित रहे और उसका निष्पादन क्रमानुसार ही करने का प्रावधान होना चाहिए ।

2.(i) पड़ोसी राज्यों यथा पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश आदि में वस्तुओं पर लागू वैट दर के समान ही राज्य में वस्तुओं पर कर की दर को निर्धारित करने का नीतिगत निर्णय हुआ था। किन्तु, अभी भी राज्य में कई ऐसी वस्तुएँ है, जिसपर वैट दर पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा अधिक है, जिसका कुप्रभाव राज्य के उघोग एवं व्यवसाय पर पड़ता है जैसे– PSC/PCC Poles etc.

(ii) कतिपय वस्तुओं के कर दर में सुधार हेतु चैम्बर द्वारा समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है जो अभी तक विभाग के विचाराधीन है। जैसे अनुसूची- III के क्रमांक 102 में Readymade Garments के साथ Apparels को भी जोड़ा जाय, ताकि इस पर भी 5% का ही कर दर लागू हो। Galvanized wire products के कर दर को 13.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाय।

3. वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में उप मुख्यमंत्री-सह-वित मंत्री द्वारा यह प्रस्ताव किया गया था कि जिन वस्तुओं पर प्रवेश-कर की दर वैट दर से अधिक है उसे समतुल्य करने के लिये प्रवेश-कर की दर को घटाया जायेगा। जैसे- Industrial Cables इसी प्रकार पूर्व में भी दो और महत्वपूर्ण घोषणायें की गयी थी –

(i) उद्योग हेतु कच्चे माल की खरीद पर ''प्रवेश-कर'' को समाप्त करना

(ii) उद्योग हेतु Plant & Machinery के स्वरूप में व्यवहार किये जानेवाले इलेक्ट्रीकल इंसटॉलेशनस पर ''प्रवेश-कर'' को समाप्त करना ।

4. कम्प्युटर द्वारा जनित केन्द्रिय प्रपत्र C एवं प्रपत्र F में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसे रद्द करने या सुधार करने का प्रावधान नही है। अत: रद्द करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। इस तरह का प्रावधान झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में है ।

यदि व्यवसायी ने किसी त्रैमास के लिए C फॉर्म लिया और उसमें भूलवश किसी एक या दो बिल की राशि छूट जाती है तो उसके लिए आगे से C फॉर्म प्रदान करने का प्रावधान किया जाए ।

5. जो व्यवसायी पूरी सेल Registered Dealer से करता है उसे Unregistered Dealer वाले बॉक्स को भरने की बाध्यता समाप्त की जानी चाहिए।

6. अपीलीय न्यायालय/वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण द्वारा पारित फैसले का insert एक समय सीमा के अन्दर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए ।

7. Out to Out के संबंध में व्यवसायियों को Specific Notification के माध्यम से यह सूचना दी जानी चाहिए कि इसके लिए कौन-कौन सा पेपर रखना अनिवार्य है ताकि व्यवसायी परेशानी से बच सके ।

8. धावादल के द्वारा Under Valutation के नाम पर ट्रकों को पकड़ कर मनमाने तरीके से अर्थदण्ड शासित किया जा रहा है। किसी भी चीज के बाजार मे न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्य में काफी भिन्नता होती है जो समय-समय पर परिवर्तित भी होते रहता है। अत: किसी भी वस्तु का पूर्व मुल्यांकन नही किया जा सकता है। Under Valuation के नाम पर व्यवसायियों को हो रही परेशानियों के संदर्भ में, चैम्बर द्वारा पूर्व मे भी अनेकों बार आपका ध्यान आकृष्ट किया गया है परन्तु इसका कोई उपयुक्त समाधान नही निकाला जा सका है। जिसके कारण व्यवसायियों को विभिन्न प्रकार से तंग किया जा रहा है। यदि आप हमारे कथन से सहमत नही हैं तो इस संबंध में हमारा सुझाव होगा कि जो माल Excisable Goods है या जिसका MRP पर टैक्स दिया हुआ है या आयात-निर्यात का माल हो या जो Branded / Reputed Company एवं बड़े कंपनियों का माल हो, इस तरह के मालों को छोड़कर Under Valuation की शंका होने पर, पूरे माल को विभाग जब्त कर ले तथा उसके बीजक का मूल्य टैक्स सहित व्यवसायी को सौंप दिया जाए एवं उस अधिकारी को Accountable बनाया जाए ताकि वह जब्त किए माल को ऊँचे दामों पर बेचकर राशि सरकारी खजाना मे दाखिल कर दें।

9. वाणिज्य-कर विभाग के पदाधिकारी ट्रकों की जाँच करते हैं और बिना किसी Valid कारण के detain करते हैं। अत: इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि सही रूप से काम करनेवाले व्यवसायियों का मनोबल बढ़े ।

10. विभाग के द्वारा सभी अर्थदण्ड ट्रक ड्राइवर के उपर लगाए जाते हैं परन्तु अर्थदण्ड व्यापारी को ही भरना पड़ता है। व्यापारी अपील मे जाता है और परिणाम व्यापारी के पक्ष मे आने पर भी वह विभाग से अपना पैसा नहीं ले पाता है क्योकि अर्थदण्ड ड्राइवर पर लगाया होता है और उस समय ड्राइवर को खोजना असंभव है।

अत: अगर व्यापारी विभाग से निबंधित हो एवं बाद में पक्षकार बनने को तैयार हो तो अर्थदण्ड व्यापारी पर लगाया जाए और उसे उसके निर्बंधित परिक्षेत्र मे ही अर्थदण्ड जमा करने एवं अपील करने का अधिकार प्राप्त हो ताकि अपील मे परिणाम व्यापारी के पक्ष मे आने पर वह विभाग से अपना पैसा वापस ले सके।

11. सुविधा को Disable करने से पहले विभाग द्वारा व्यापारी को किसी प्रकार की सूचना नही दी जाती है। जबकि पत्र संख्या 260/CCT दिनांक 27.11. 2012 के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि सामान्य परिस्थिति मे कम-से-कम चार सप्ताह की लिखित सूचना देने के बाद एवं व्यवसायी को सुनने के उपरान्त ही सुविधा सेवा को Disable किया जाये। इस संबंध में Gaman India के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय का अनुपालन होना चाहिए ।

12. D-VIII, D-IX, D-X "Suvidha" के संदर्भ मे निम्नांकित विकल्प भी होने चाहिए :-

Outcoming	Outcoming
For Capital Goods	For Capital Goods
For Consumable Goods	For Consumable Goods
For Generation and Distribution of electricity	For Generation and Distribution of electricity
For Incoming Branch Transfer	For Outgoing Branch Transfer
For Mining	For Mining
For Packing of Goods for Sale/ Resale	For Packing of Goods for Sale/Resale
For personal use	For personal use
For Raw Material	For Raw Material
For Resale	For Sale
	For job-work/repair etc.
	For purchases Return

परपस ऑफ गुड्स मे स्टॉक ट्रांसफर/Job Work/Repair now Return, Sales Return का भी विकल्प होना चाहिए ।

13. विभागीय अपीलीय न्यायालयों/प्राधिकारों के समक्ष बिहार वित्त अधिनियम 1981 से सम्बन्धित लंबित वादों को One Time Settlement (OTS) योजना के तहत निष्पादित किया जाना चाहिए जिससे दोनों पक्षों को अनावश्यक खर्चे एवं परेशानी से बचाया जा सके तथा सरकार को भी विवादित राजस्व के मद में राशि की प्राप्ति हो सके ।

14. Accumulated Input Tax Credit Refund होना चाहिए।

15. Demand Notice के साथ Copy of Order भी मिलना चाहिए।

16. Right to Public Service Act, 2011 के तहत 7 दिनो के अंदर प्रपत्र 'C' उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जिससे कि प्रपत्र 'C' एक समय सीमा के अंदर प्राप्त हो सके। साथ ही वाणिज्य-कर विभाग द्वारा जारी निर्देश ज्ञापांक 2614 दिनांक 03.06.2014 के द्वारा भी सभी अंचल प्रभारी को यह निर्देश जारी किया गया है, जिसके अंतगर्त यह कहा गया है कि मार्च 2014 तक की अवधि के प्रपत्र 'C' एवं 'F' के ऑनलाईन आवेदनों का निष्पादन दिनांक 30.06.2014 तक निश्चित रूप से कर दिया जाए।

इस संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 06 सितम्बर 2012 को जारी अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया है कि ''वर्ष 2013–14 एवं उसके बाद की अवधि के लिए फार्म 'C' का ऑनलाईन निर्गमन कंडिका 1 में निर्धारित प्रक्रिया संपन्न होने पर एवं कंडिका 3 में विनिर्दिष्ट सभी शर्त पूरी होने पर पूर्णत: ऑटोमेटेड प्रोसेस से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के होगा'' परन्तु इसके बावजूद ऑटोमेटेड प्रोसेस से 'C' फार्म उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

17. BIHAR VAT ACT की धारा 26 एवं नियम 22 के अनुसार वाणिज्य-कर विभाग द्वारा व्यवसायियों के लेखा का अंकेक्षण हेतु हर वर्ष चयन किया जाता है। परन्तु चयन की प्रक्रिया खासकर वित्तीय वर्ष 2012-13 में जो चयन हुआ है वह न्यायोचित नही है ।

पूर्व में राज्य स्तरीय VAT सलाहकार समिति में तत्कालीन आयुक्त ने आश्वासन दिया था कि वैसे व्यवसायी जिनका लेखा के अंकेक्षण हेतु चालू वित्तीय वर्ष में चयन हुआ है एवं जिनके बही खाते में कोई गड़बड़ी नही पाई जाती है, उन्हें अगले वित्तीय वर्ष में लेखा के अंकेक्षण हेतु शामिल नही किया जाएगा। परन्तु चयन की प्रक्रिया में अभी तक विभाग द्वारा बनाये गये नियम का पालन नही किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि जिस व्यवसायी का Audit काफी समय पहले ही सम्पन्न हो चुका है, उसका Audit Report व्यवसायी को अभी तक उपलब्ध नही कराया गया है। इसके कारण व्यवसायी संशय में रहते हैं कि Audit में उनके विरूद्ध कोई आपत्तिजनक तथ्य पाया गया अथवा उनका लेखा परीक्षणोंपरान्त शुद्ध पाया गया।

अतएव VAT Audit के संबंध में चैम्बर के कतिपय सुझाव ध्यान देने योग्य है और इस पर गंभीरता से विचार कर निर्णय लेने की आवश्यकता है:-

(i) VAT Audit के लिए व्यवसायी के चुनाव की जो भी पद्धति निर्धारित की जाए उसे पहले व्यवसायी वर्ग के संज्ञान में लाकर आपत्ति आमंत्रित की जाए और प्राप्त आपत्तियों के आधार पर इसकी समीक्षा कर एक मानक निर्धारित किया जाए।

(ii) इस प्रकार से निर्धारित मानक के आधार पर चयनित व्यवसायियों की सूची प्रकाशन के पूर्व चैम्बर को उपलब्ध करायी जाए।

(iii) जिस भी व्यवसायी का Audit सम्पन्न किया जाए, उसके बारे में एक निश्चित अवधि के अन्दर Audit Report समर्पित करने की बाध्यता रखी जाये, उक्त अवधि तक किसी भी परिस्थिति में Audit Report समर्पित नही होने की दशा में यह माना जाएगा कि व्यवसायी के विरूद्ध Audit में कोई प्रतिकूल तथ्य नही प्राप्त हुआ और अब इस संबंध में अन्य कोई अग्रेत्तर कार्रवाई नही की जाएगी।

18. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अन्तगर्त कंडिका 3 (ii) (क) के द्वारा होटल उद्योग को लग्जरी टैक्स से 7 वर्षो के लिए 100% की छूट का प्रावधान है जिसकी अनुकूल अधिसूचना अभी तक जारी नही की गई है। जिसके फलस्वरूप होटल उद्योग प्रभावित हो रहा है। अत: इसके अनुकूल विभागीय अधिसूचना औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के लागू होने की तिथि से जारी करने का कष्ट करें।

19. वैसे व्यवसायी जो MRP Purchase Stock बिक्री करते हैं उनको केवल वार्षिक रिटर्न देने का ही प्रावधान है। परन्तु वर्त्तमान Software में त्रिमाही रिटर्न देने के उपरान्त ही वार्षिक रिटर्न देने का प्रावधान है, जिससे उनपर अनावश्यक भार पड़ता है।

20. व्यवसायियों के कल्याण हेतु ''व्यवसायी कल्याण कोष'' के सृजन के सम्बन्ध में ।

व्यवसायी राज्य के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदाकदा व्यवसायी को भी आपात स्थिति में वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है । एक कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व है कि वह समाज के सभी वर्गों के कल्याण हेतु योजना बनाये। अतएव, किसी आपात स्थिति में यदि व्यापारी वर्ग को वित्तीय सहायता की जरूरत हो तो उसे राहत पहुँचाने के लिये राज्य की ओर से एक कल्याण कोष का गठन किया जाना आवश्यक है। अत: अनुरोध है कि ''व्यवसायी कल्याण कोष'' का गठन कराया जाय।

शिकार नहीं, भागीदार हैं करदाता

वित्त मंत्री ने निवेशकों से किया भारत में कम व प्रतिस्पर्धी दरों वाली आधुनिक कर प्रणाली देने का वादा

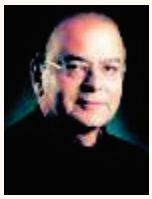

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने निवेशकों से भारत में कम व प्रतिस्पर्धी दरों वाली आधुनिक कर प्रणाली का वादा किया है। उन्होंने विदेशी निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि टैक्स के मामले में सरकार पिछली तारीख से प्रभावी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। **उन्होंने कहा कि करदाताओं को भागीदार के तौर पर देखा जाएगा, संभावित 'बंधक या शिकार' के तौर पर नहीं।**

जेटली के मुताबिक, घरेलू करदाताओं के लिए भी टैक्स दरें कम रखने की जरूरत है, क्योंकि कराधान को नागरिकों से जबरन धन लेकर उसे सरकार को सौंपने की कार्रवाई के रूप में देखा जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि कर का दायरा बड़ा होना चाहिए, ताकि हर किसी को लगे कि वह सरकार का हिस्सा है।

जेटली ने कहा कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि खासकर बहुराष्ट्रीय कंपनी समूहों के बीच सौदों में ट्रांसफर प्राइसिंग के मामलों में पिछली तारीख से कराधान, उत्पीड़न और मनमानी को लेकर कुछ चिंता है। मगर उनकी सरकार एक पारदर्शी व भरोसेमंद कर प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देकर कहा, 'यह सिर्फ मंशा नहीं है, हमने इन्हें वास्तविकता में तब्दील किया है।

कानूनी विवाद घटाने को उठाए कदम : उन्होंने बताया कि टैक्स से जुड़े कानूनी विवाद कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कर अधिकारियों से कहा गया है कि वे नियमित तौर पर सतही अपील दायर नहीं करें। साथ ही सरकार ने हाई कोर्ट के उन आदेशों को भी चुनौती नहीं दी है, जो वोडाफोन और शेल के पक्ष में गए थे।

(साभार : दैनिक जागरण, 18.4.2015)

पैन कार्ड बनवाने के लिए वोटर या आधार पर्याप्त

अब किसी व्यक्ति के लिए पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड पर्याप्त होगा। आयकर विभाग ने प्रक्रिया आसान करने के लिए यह निर्णय लिया है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही में अधिसूचना जारी की है जिसमें पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए जन्मतिथि की पुष्टि हेतु मतदाता पहचान पत्र या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार को वैध साक्ष्य माना गया है। अब तक दोनों आईडी कार्ड को संबंधित व्यक्ति की पहचान और पते का वैध साक्ष्य माना जाता है जबकि जन्मतिथि के मामले में इसे वैध नहीं माना जाता था। आयकर विभाग के एक अधिकारी ने कहा, 'नई अधिसूचना का सामान्य मतलब यह है कि पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए वोटर कार्ड या आधार कार्ड पर्याप्त दस्तावेज होगा।'

(साभार : राष्ट्रीय सहारा , 21.4.2015)

लघु-मध्यम उद्यमों में बढ़ेगी निवेश सीमा

केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसके कानून का रूप लेने पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में निवेश की सीमा बढ़ जाएगी। फिलहाल सूक्ष्म उद्यमों में मशीनरी और संयंत्र में निवेश की सीमा पांच लाख रुपये है। यह बढ़कर 50 लाख रुपये हो जाएगी। लघु उद्योग की सीमा पाँच करोड़ से बढ़कर 10 करोड रुपये होगी। इसी तरह मध्यम उद्योग की सीमा भी मौजूदा 10 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ रुपये पर पहुँच जाएगी। सीमा में यह वृद्धि बढ़ती लागत के मद्देनजर की जा रही है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्र ने लोकसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास कानून संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक में यह भी प्रावधान है कि सरकार अब अधिसूचना जारी करके ही एमएसएमई में निवेश की सीमा तय कर सकेगी। सरकार ने निवेश की सीमा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विकास कानून के जरिये 2006 में तय की थी। सेवा क्षेत्र के मामले में प्रस्तावित निवेश सीमा सूक्ष्म इकाइयों 10 लाख रुपये, लघु इकाइयों के लिए पाँच करोड़ रुपये और मध्यम उद्यमों के लिए 15 करोड़ रुपये होगी।

(साभार : दैनिक जागरण, 21.4.2015)

बिहार सरकार सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास पर देगी ध्यान

'बिजनेस बातें' कार्यक्रम में मंचासीन (बाँयें से दाँयें) बिड़ला सनलाइफ इंश्योरेन्स कम्पनी के जोनल प्रमुख श्री संजीत सिंह, सीआईआई बिहार चैप्टर के अध्यक्ष श्री एस. पी. सिन्हा, माननीय उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह एवं बिजनेस स्टैण्डर्ड के श्री सत्यव्रत मिश्रा।

बिहार सरकार ने देश के विकास में राज्य की भूमिका को अहम बनाने के लिए छोटे और लघु उद्योगों के विकास पर ध्यान देने का फैसला लिया है। इसके लिए वह नई नीतियों और नए उद्योगों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। राज्य सरकार ने जमीन मुद्दे पर किसानों को साथ लेने की भी बात कही।

दिनांक 22.4.2015 को पटना में कारोबारी समाचार पत्र बिज़नेस स्टैंडर्ड 'बिजनेस बातें' कार्यक्रम में उद्योग मंत्री श्याम रजक ने बिहार के तेज विकास के लिए राज्य के उद्यमियों को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा, 'बिहार ने हमेशा से अध्यात्म और ज्ञान के क्षेत्र में देश और दुनिया को नई राह दिखाई है। साथ ही, कारोबार के क्षेत्र में भी बिहार की भूमिका काफी अहम रही है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की असीम संभावनाएं हैं। हालांकि आर्थिक विपन्नता और केंद्र के असहयोग की वजह से राज्य के विकास पर असर पड़ा है, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास के लिए हम कमर कस चुके हैं।'

उन्होंने कहा, 'हमें इस काम में केंद्र सरकार से विशेष राज्य के दर्जे की दरकार है। लोगों में विकास को लेकर जज्बा है और हमें अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो हमारा भविष्य और बेहतर होगा। हम देश के विकास में और महत्ती भूमिका निभाने को तैयार हैं। इसीलिए हम सबसे ज्यादा ध्यान राज्य में लघु और छोटे उद्यमों और ग्रामोद्योगों के विकास पर लगा रहे हैं।'

उद्योग मंत्री ने इस मौके पर बिहार के विकास के लिए राज्य सरकार का खाका भी पेश किया। इसमें उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, खादी-ग्रामोद्योग, कृषि आधारित उद्योगों और दूसरे लघु और छोटे उद्योगों पर खासा ध्यान देने की बात कही। इसके लिए उन्होंने राज्य में ब्रिटिश सरकार की विकास संस्था डीएफआईडी की मदद से एकल खिड़की व्यवस्था को मजबूत करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है और जल्दी ही एक नई व्यवस्था उद्यमियों के सामने होगी, जिससे राज्य में उद्यमियों और निवेशकों को काफी आसानी होगी। उन्होंने राज्य के विकास में लालफीताशाही की रुकावट नहीं बनने देने का भरोसा भी उद्यमियों को दिलाया।

इसके अलावा, इस मौके पर उद्योग और कारोबार से जुड़े अन्य गणमान्य लोगों ने भी अपनी राय रखी। बिड़ला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी के वरिष्ठ जोनल प्रमुख संजीत सिंह ने कहा, 'बिहार में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसमें लघु और मझोली कंपनियों की भूमिका काफी अहम होगी। हमारी कंपनी इस क्षेत्र की बातें को गहराई से समझती है और हम इस बारे में कारोबारियों की मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। हम इस क्षेत्र के लिए एक नया ऐप भी लेकर आए हैं, जो उद्यमियों को जोखिम और उनके समाधान के बारे में पूरी जानकारी देता है।'

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष ओ पी साह ने औद्योगिक विकास को लेकर सरकारी कर्मचारियों के रवैये में बदलाव की अपील राज्य सरकार से की। साह ने कहा, 'बिहार को पीछे छोड़कर देश तरक्की नहीं कर सकेगा। इसीलिए राज्य के विकास में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयास की जरूरत है। आज राज्य में सबसे ज्यादा कमी निचली नौकरशाही में इच्छाशक्ति, नजरिये और जागरूकता को लेकर है। साथ ही, बैंकों को भी राज्य के विकास में सकारात्मक भूमिका निभानी होगी।' वहीं, सी आई आई के बिहार चैप्टर के अध्यक्ष और राज्य के सम्मानित उद्यमी एस पी सिन्हा ने कहा, 'राज्य में उद्योग को लेकर नजरिया बदलना काफी जरूरी है। हमें विकास को जरूरत बनाना है, तभी हम तेजी से बदलती दुनिया में टिके रह पाएंगे।' **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 24.4.2015)**

चेक बाउंस :चेक पाने वाले के इलाके में चलेगा मुकदमा

अगर आपके द्वारा जारी कोई चेक बाउंस होता है तो आपकी मुसीबत बढ़ने वाली है। चेक पाने वाले ने क्लियरिंग के लिए जहाँ चेक जमा किया है, उसी इलाके की अदालत में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। यानी मुकदमे के दौरान आपको लंबी दौड़-भाग करनी पड़ सकती है। कैबिनेट ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 में संशोधन किया जाएगा। संशोधन विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में ही पेश किए जाने की उम्मीद है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 23.4.2015)

बैंक परिसर में उड़ाया था रुपया, मिलेगी क्षतिपूर्ति

कदमकुआं स्थित एसबीआई परिसर से पेंशनर चंद्र माधव तिवारी का 27 हजार रुपया उचक्कों ने उड़ा लिया था। राज्य मानवाधिकार आयोग ने क्षतिपूर्ति के तौर पर बैंक को चार हफ्ते के अंदर यह पैसे तिवारी को देने का आदेश दिया है। 10 अगस्त 2013 को चन्द्र माधव तिवारी बैंक से पेंशन निकान कर लौट रहे थे, तभी उचक्कों ने उनके पैसे छीन लिए। तिवारी के बेटे ने इस संबंध में आयोग का दरवाजा खटखटाया था। **(विस्तृत : हिन्दस्तान, 17.4.2015)**

व्यावसायिक वाहनों पर अब एकमुश्त टैक्स नहीं

वाहन मालिक करेंगे तिमाही और छमाही भुगतान, कैबिनेट से स्वीकृति के लिए भेजी गई फाइल

व्यावसायिक वाहनों पर अब एकमुश्त टैक्स नहीं लगेगा। वाहन मालिक फिर से तिमाही या छमाही टैक्स का भुगतान करेंगे। लेकिन व्यावसायिक वाहनों पर टैक्स पूर्व की तरह 7 प्रतिशत ही रहेगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव कैबिनेट के पास स्वीकृति के लिए भेजा है। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही टैक्स भुगतान का पूर्व का नियम लागू हो जाएगा। **(विस्तृत : हिन्दस्तान, 13.4.2015)**

वैट प्रपत्रों के ऑन लाइन समस्याओं पर कार्यशाला

कार्यशाला को सम्बोधित करते वाणिज्य-कर विभाग के सहायक आयुक्त श्री उदयन मिश्रा। उनकी बाँयी ओर टीसीएस के विशेषज्ञ श्री विवेक सिन्हा। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया, महामंत्री श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल एवं वैट उप-समिति के चेयरमैन श्री डी. बी. गुप्ता।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं वाणिज्य-कर विभाग, पटना के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 28 अप्रील, 2015 को चैम्बर प्रांगण में वैट के विभिन्न प्रपत्रों के ऑनलाइन भरने में होने वाली समस्याओं पर विचार-विमर्श हेतु एक कार्यशाला आयोजित की गयी। वाणिज्य-कर विभाग के सहायक आयुक्त श्री उदयन मिश्रा एवं टाटा कंसलटेंसी सेवा के विशेषज्ञ श्री विवेक सिन्हा तथा कर सलाहकार श्री हर्ष तथा अन्य अधिकारी कार्यशाला में उपस्थित थे। कार्यशाला का संचालन चैम्बर के वैट उप-समिति के चेयरमैन श्री डी० बी० गुप्ता ने किया।

श्री गुप्ता ने कहा कि अक्सर 'सी' फार्म में गलतियाँ हो रही हैं। लेकिन ऑनलाइन कैंसिलेसन नहीं होने से समस्या बढ़ गई है। कैंसिलेशन की समस्या कई वर्षों से विभाग के पास लंबित है। वाणिज्य-कर आयुक्त का ध्यान कई बार आकृष्ट करने के बावजूद विभाग कुछ नहीं कर पा रहा है और व्यवसायी परेशानी झेल रहे हैं।

इस कार्यशाला में सदस्यों ने वैट के विभिन्न प्रपत्रों के ऑनलाइन दाखिल करने में हो रही कठिनाइयों एवं शंकाओं से वाणिज्य-कर अधिकारियों को अवगत् कराया जिसमें सर्वर, लिंक फेल होने तथा अन्य पोर्टलो में व्यवधान की चर्चा की गयी।

एक सदस्य ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि एक साल पूर्व 'सी' फार्म लिया था और एक शुन्य के चलते गलती हो गयी। यह एमाउंट काफी बढ़ गया। अधिकारियों से कई बार मिलने बावजूद इसका निराकरण नहीं हुआ।

सदस्यों का यह भी सुझाव था कि ऑन लाइन प्रणाली में रिभ्यु का ऑप्सन रहना चाहिए ताकि यदि कोई गलती हो तो उसे ठीक कर लिया जाय।

कुछ समस्याओं का निराकरण सहायक आयुक्त एवं टीसीएस के विशेषज्ञों ने किया एवं कुछ समस्याओं को अधिकारियों ने यह कहते हुए नोट किया कि इन्हें दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। श्री उदयन मिश्रा, सहायक आयुक्त ने कहा कि ऑन लाइन कैंसिलेशन के मुद्दों को सुलझाने को लेकर ऑफ लाइन संशोधन पर विचार हो रहा है। 'सी' फार्म से संबंधित करीब 250-300 मामले लंबित हैं। वाणिज्य -कर विभाग में राज्यों के बीच कुछ परेशानी है। फार्म 'सी' का प्रयोग दूसरे राज्यों में हुआ है या नहीं, इसका पता नहीं चल पाता है। इस कारण भी परेशानी हो रही है। सर्वर अब पूरी तरह काम कर रहा है।

श्री डी० बी० गुप्ता ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि आपने जो भी समस्याएं अभी बताई हैं उसे चैम्बर कार्यालय में लिखित रूप मे भेजने की कृपा करें ताकि उन समस्याओं को संकलित करके वाणिज्य-कर विभाग को समाधान हेतु भेजा जा सके। कार्यशाला में वाणिज्य-कर विभाग के अधिकारियों एवं टीसीएस के विशेषज्ञों ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा सदस्यों को कई जानकारी दी।

इस अवसर पर चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री मधुकर नाथ बरेरिया, महामंत्री श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, वैट उप-समिति के को-चेयरमैन श्री नवीन कुमार मोटानी सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि सहित चैम्बर के सदस्य एवं मीडियाकर्मी काफी संख्या में उपस्थित थे।

बिहार गजट संख्या-414 दिनांक 06 अप्रैल 2015 में श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना एस. ओ. 35 दिनांक 06 अप्रैल 2015 के अनुसार अनुसूची 1(ब) जिसमें कुल 69 अनुसूचित नियोजन हैं जिसकी न्यूनतम मजदूरी निम्नानुसार दिनांक 01 अप्रैल 2015 से प्रभावी है।

क्र. स.	कामगारों की कोटि	निर्धारित न्यूनतम मजदूरी + दिनांक 01.04.2012 + 01.10.2012 + 1.04.2013 + 01.10.2013 + 01.04.2014 + 01.10.2014 से लागू परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता (रुपये में)	परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी होगी	01.04.2015 से प्रस्तावित कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1.	2	3.	4.	5.
1.	अकुशल	144.00+7.00+6.00+11.00+8.00+8.00+2.00=186.00	8.00	194.00 प्रति दिन
2	अर्द्धकुशल	150.00+8.00+6.00+11.00+9.00+8.00+2.00=194.00	9.00	203.00 प्रति दिन
3.	कुशल	183.00+9.00+8.00+14.00+11.00+9.00+2.00=236.00	11.00	247.00 प्रति दिन
4.	अतिकुशल	223.00+11.00+9.00+17.00+13.00+12.00+3.00=288.00	13.00	301.00 प्रति दिन
5.	पर्यवेक्षीय/ लिपिकीय	4134.00+207.00+174.00+316.00+242.00+219.00+41.00=5333.00	248.00	5581.00 प्रति माह

(गजट की प्रति चैम्बर कार्यालय में उपलब्ध है।)

PT. GPO/R-10/NP-15/2014-2016 R.N. 4211/62

निबंधन कार्यालय में शुरू होगा सिंगल विंडो सिस्टम

जिला निबंधन कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगा। इससे यहाँ आने वाले लोगों को रजिस्ट्री सहित अन्य कामों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जिला अवर निबंधक प्रशांत कहते हैं कि आम आदमी की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है। पहले आरटीपीएस में दस्तावेजों की इंट्री होती थी। बाद में ऑफिस जांच के बाद निबंधन होता था। इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि आरटीपीएस काउंटर पर अलग से इंट्री आवश्यक नहीं है। बताते चले कि प्रस्ताव पर डीएम पटना की मुहर पहले ही लग चुकी है। आवश्यक आधारभूत संरचना तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। तीन या चार काउंटर महीने के अंत तक खोले जा सकते हैं। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 16.4.2015)**

ऑनलाइन टैक्स रिटर्न में दस्तावेज भेजने से निजात

ऑनलाइन टैक्स रिटर्न (ई-फाइलिंग) दाखिल करने के बाद डाक से प्राप्ति दस्तावेज को भेजने की जरूरत नहीं होगी। इसकी वैधता का पता लगाने के लिए अब नया आधार नंबर आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान कोड (ईवीसी) शुरू किया गया है। इस मामले में करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस बात की घोषणा की। सीबीडीटी ने कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के आयकर रिटर्न फॉर्म में एक नया कॉलम जोड़ा है जिसमें ई-फाइलिंग करने वाले करदाता अपना आधार नंबर लिखेंगे।

ई-फाइलिंग में कैसे काम करेगा आधार : इसके तहत ई-फाइलिंग करने वाले को आईटीआर में अपना आधार नंबर पंजीकृत करना होगा। इसके बाद विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डाटाबेस से करदाता के पंजीकृत मोबाइल पर एकबारगी पासवर्ड (ओटीपी या वन टाइम पासवर्ड)भेजा जाएगा और उसके बाद इसे ई-फाइलिंग वेबसाइट पर प्रमाणित कर दिया जाएगा। **(साभार : हिन्दुस्तान , 18.4.2015)**

प्रतिभूतिकरण ट्रस्टी मानकों में बदलाव

प्रतिभूतिकरण यानी सिक्योरिटाइजेशन बाजार को गहराई देने की खातिर सेबी ने बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के लिए ट्रस्टी के तौर पर काम करना आसान कर दिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नई आचार संहिता भी बनाई है। बाजार नियामक सेबी ने अपने सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन में बदलाव किया है। इस कदम से प्रतिभूतिकरण बाजार का और विकास होगा। साथ ही ट्रस्टी की भूमिका और जिम्मेदारियों को तर्कसंगत बनाने के साथ अधिक स्पष्टता दी जा सकेगी। **(दैनिक जागरण, 11.4.2015)**

सरकार हटाएगी आयकर रिटर्न फॉर्म से विवादास्पद पहलू

विभिन्न हलकों से विरोध के बाद सरकार ने आयकर रिटर्न के नए फॉर्म से विवादास्पद पहलू हटाने का फैसला किया है और वह नया फॉर्म जल्द ही पेश कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार उन उपबंधों व धाराओं को संशोधित कर सकता है, जिसके तहत विदेश यात्रा, पासपोर्ट कॉपी और इस यात्रा पर हुए खर्च आदि का ब्योरा मांगा जाने वाला था। राजस्व सचिव शक्तिकांत दास ने कहा था, वित्त मंत्री ने वॉशिंगटन से इस बारे में हमसे फोन पर बातचीत की। आईटी फॉर्म की समीक्षा हो रही है और इसे सरल बनाया जाएगा। **(साभार: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 21.4.2015)**

रेल परियोजनाओं की होगी ऑनलाइन निगरानी : प्रभु

रेल मंत्रालय ने रेलवे की देश भर में चल रही परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी का निर्णय लिया है। इस माह के अंत तक इसके लिए एक सॉफ्टवेयर लांच किया जाएगा।

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेलवे ने रेल बजट की घोषणाओं पर तेजी से अमल शुरू कर दिया है। नई पुरानी सभी परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन के लिए रेलवे बोर्ड में एक निगरानी प्रणाली लगाई जानी है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर इस माह के अंत तक लांच कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से नई लाइनों के निर्माण, दोहरीकरण एवं तिहरीकरण, नए कारखानों के निर्माण आदि परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखी जाएगी। **(साभार : हिन्दुस्तान , 18.4.2015)**

पूर्व विधान पार्षद एवं चैम्बर के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य तथा राज्य के प्रमुख उद्योगपति श्री विनय कुमार सिन्हा का निधन अपूरणीय क्षति – चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने पूर्व विधान पार्षद एवं चैम्बर के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य तथा प्रमुख उद्योगपति श्री विनय कुमार सिन्हा के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने कहा कि श्री सिन्हा वर्ष 1997 से 2004 तक लगतार चैम्बर की कार्यकारिणी सदस्य के रूप में राज्य के उद्योग एवं व्यवसाय को अपनी सेवाएं प्रदान की है। उन्होंने कहा कि श्री सिन्हा राज्य के जानेमाने उद्योगपति के साथ-साथ एक सामाज सेवक के रूप में भी जाने जाते थे। उनकी मिलनसार एवं मृदुभाषी छवि सभी को आकर्षित करनेवाली थी।

श्री साह ने कहा कि यह राज्य के उद्योग एवं व्यापार के लिए अपूरणीय क्षति है। साथ ही श्री साह ने बताया कि यह उनकी व्यक्तिगत क्षति है और उन्होंने अपने प्रिय मित्र को खो दिया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें।

भारत वैगन मोकामा में कोचों की मरम्मत जल्द

भारत वैगन कंपनी की मोकामा इकाई में वैगन का उत्पादन जल्द ही शुरू होने की संभावना है। फिलहाल यहाँ वैगन की मरम्मत का काम शुरू होगा। यह बात रेलवे बोर्ड के सदस्य (मैकेनिकल) हेमंत कुमार ने कही।

मेंबर मैकेनिकल हेमन्त कुमार इससे पहले बेला पहिया कारखाना पहुंचे जहाँ उन्होंने फैक्ट्री में निर्मित पहिए के गुणवता की जाँच की। पटना जंक्शन लौटने पर श्री कुमार ने कहा कि बेला पहिया कारखाने का उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा। पटना जंक्शन पर श्री कुमार ने विकेन्द्रीकृत कचरा प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन भी किया।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान , 18.4.2015)

बिहार की चीनी मिलें मुश्किल में

चीनी उद्योग से संकट का सीधा असर अब बिहार में चीनी मिलों पर भी पड़ने लगा है। इस वजह से मिलों को अब गन्ना किसानों को भुगतान करने में दिक्कतें हो रही हैं। अब तक राज्य में चीनी मिलें गन्ना किसानों के कुल बकाए का 60 फीसदी का ही भुगतान कर पाई हैं। अब चीनी मिलों ने राज्य और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बिहार शुगर मिल्स एसोसिएशन के सचिव नरेश भट्ट ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'बीते कुछ सालों में राज्य सरकार की अनुकूल नीतियों की वजह से बिहार में चीनी उद्योग में सबसे ज्यादा निवेश हुआ है। इस वजह से हमारी पेराई क्षमता भी अब दोगुनी हो चुकी है।

हालांकि, चीनी उद्योग के सामने मौजूद प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से हमारी वित्तीय स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है। इस साल हमें किसानों को करीब 1424 करोड़ रुपये का भुगतान करना है, लेकिन कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से हम अब तक महज 860-862 करोड़ रुपये का भुगतान कर पाए हैं। यह कुल बकाए का करीब 60 फीसदी ही है। पिछले साल इस वक्त तक राज्य की चीनी मिलें अपने कुल बकाए का 90 फीसदी का भुगतान कर चुकी थीं। हम किसानों के बकाए के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें इस काम में अब केंद्र और राज्य सरकार की मदद की दरकार है।' **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 16.4.2015)**

EDITORIAL BOARD

Editor
O. P. Tibrewal
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296